राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

समग्र शिक्षा,अलवर (राजस्थान)
ऑवर ब्रिज के पास, अल्कापुरी अलवर
E-mail: cdeo.alwar.dse@rajasthan.gov.in, Phone No. 0144-2332363

क्रमांक : मुजिशिअ / अल / सामान्य / 2020 / 4472 - 73 दिनांक : 19/12/20

श्रीमान निदेशक महोदय,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः– श्री देवप्रकाश यादव, व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राउमावि रायसराना, अलवर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

संदर्भः– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमराणा के पत्रांकः मुब्लॉशिअ / नीम / संस्था–2 / जांच / फा–रायसराना / 2020 / 2685–88 दिनांक 18.12.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमराणा द्वारा श्री देवप्रकाश यादव, व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राउमावि रायसराना, अलवर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई गई है। जांच रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– जांच रिपोर्ट मय प्रपत्र अ,ब,स,द

19/12/20
(वीरेन्द्र सिंह यादव)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
अलवर (राज0)

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. कार्यालय प्रति।

19/12/20
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
अलवर (राज0)

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा अलवर (राजस्थान)
ऑवर ब्रिज के पास, अल्कापुरी अलवर
E-mail: cdeo.alwar.dse@rajasthan.gov.in, Phone No. 0144-2332363

क्रमांक : मुजिशिअ/अल/फा. वि. जांच/020/785

दिनांक : 17/12/2020

—:कार्यालय आदेश:—

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमराना के पत्रांक–मुब्लॉशिअ/नीम/संस्था–2/फा–जांच/2020/2678–80 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार प्रधानाचार्य राउमावि रायसराना ने अपने पत्र दिनांक 16.12.2020 के माध्यम से श्री देव प्रकाश यादव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान द्वारा कक्षा 12वीं की बालिकाओं से अश्लील हरकतें करने, छेड़छाड़, जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित करने, अपने विषय में कम अंक देकर फेल करने की धमकी देने एवं परीक्षा प्रभारी कक्ष में अकेले आने के लिए बाध्य करने की शिकायत की है। साथ ही रायसराना ग्राम वासियों ने भी प्रधानाचार्य राउमावि रायसराना को श्री देव प्रकाश व्याख्याता के विरूद्ध छात्राओं से जाति सूचक शब्द एवं अश्लील बाते करने की शिकायत की है एवं व्याख्याता को विद्यालय से नही हटाने की स्थिति में तालाबन्दी करने की सूचना दी है।

श्रीमान सम्भागीय आयुक्त जयपुर संभाग जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 16.12.2020 को पर्यवेक्षण/निरीक्षण करने हेतु अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम, नीमराना ने भी निरीक्षण के वक्त ग्रामवासियों एवं छात्राओं द्वारा भी उक्त शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया तथा उक्त व्याख्याता को विद्यालय से हटाने की मांग की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीमराना द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर श्री देव प्रकाश यादव व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि रायसराना, नीमराना, अलवर को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतिक्षा में किया जाकर मुख्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अलवर में किया जाता है।

(वीरेन्द्र सिंह यादव) 17/12/20
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
o/c समग्र शिक्षा, अलवर (राज.)
दिनांक: 17.12.2020

क्रमांक: मुजिशिअ/अल/2020/ 786-792
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीमराना–उक्त आदेशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें तथा जॉच कर प्रतिवेदन सहित श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के माध्यम से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाये।
5. प्रधानाचार्य राउमावि रायसराना नीमराना–श्री देव प्रकाश यादव व्याख्याता को तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतिक्षा में कार्यमुक्त कर मुख्यालय भिजवाये।
6. सम्बन्धित कार्मिक।
7. कार्यालय प्रति जांच शमवा।

17/12/20
o/c मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, अलवर (राज0)